...खण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)

2024

निर्णय दिनांक 10.06.2024

तहसीलदार तहसील चाकसू बनाम कमला

अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

तहसीलदार चाकसू के प्रार्थना पत्र संलग्न निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम नन्दगांव बासडी तहसील चाकसू के आराजी खसरा नंबरान् 115 रकबा 0.32 है0 में से खसरा नंबरान् 115 रकबा 0.090 है0 निजी खातेदारी एवं सिवायचक भूमि में ग्रेवल सड़क चालू होना तथा खातेदारों द्वारा मौके पर प्रस्तावित भूमि रास्ते के रूप में, मौके अनुसार रिकॉर्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट के तहत तहसीलदार चाकसू से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रकरण एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत जाहिर होता है कि मौके पर निजी खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रस्तावित किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज० भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प3 (2) राज–6/2003/ पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम नन्दगांव बासडी में नजरी नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गै. मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चाकसू को आदेश किया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा की निम्न खसरा नंबरों की कृषि भूमियो बाबत राजस्व अभिलेख में रास्ते के पृथक ख० न० अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरनीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार चाकसू द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेगें।

क्र.स	नाम राजस्व ग्राम	ख0न0	कुल रकबा	किस्म	रास्ते/सडक दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा	वि0वि
1	नन्दगॉव बासडी	115	0.32	बारानी2	0.090	

पालनार्थ तहसीलदार तहसील चाकसू को तहरीर जारी हो।

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)